



Neutral Citation No. - 2026:AHC: 127104-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 10982 वर्ष 2026

कमलेश उर्फ कोमल

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अरविंद कुमार वर्मा

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, विमल कुमार

न्यायालय संख्या - 40

माननीय न्यायमूर्ति अजय भनोट

माननीय न्यायमूर्ति लक्ष्मीकांत शुक्ला

याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित राहतों की मांग की है:

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(i) रिट याचिका के साथ संलग्न एनेक्शर संख्या 1 में दी गई, थाना गोवर्धन, जिला मथुरा की मुकदमा अपराध संख्या 0129/2026 (जो पहले बी.एन.एस. की धारा 109(1) के तहत थी और अब धारा 103(1)/351(3) में बदल दी गई है) से संबंधित 18.03.2026 की विवादित एफ.आई.आर. को रद्द करने के लिए सर्टिओरारी की प्रकृति का कोई रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।

(ii) मैडमस के तहत एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ता को मुकदमा अपराध संख्या 0129/2026 (जो बी.एन.एस. की धारा 103(1)/351(3) में बदल दी गई है, जबकि पहले यह धारा 109(1) के तहत थी) से संबंधित 18.03.2026 की एफ.आई.आर. के आधार पर गिरफ्तार या हिरासत में न लें; यह आदेश बीएनएसएस की धारा 193 के तहत रिपोर्ट स्वीकार होने तक लागू रहेगा। यह मामला थाना गोवर्धन, जिला मथुरा का है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री अरविंद कुमार वर्मा की ओर से पेश हुए अधिवक्ता श्री लाल चंद्र मिश्रा ने कहा कि याचिकाकर्ता एक कथा वाचक हैं और सह-आरोपी उनका शिष्य है; उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की दलीलों का खंडन करते हुए, एजीए श्री ऋषि चड्ढा और पहले शिकायतकर्ता/प्रतिवादी 3 की ओर से पेश अधिवक्ता श्री विमल कुमार का कहना है कि याचिकाकर्ता की पहचान मुख्य अपराधियों में से एक के तौर पर हुई है, जिसने मृतका पर पेट्रोल डालकर उसे आग लगा दी थी। इस घटना में मृतका की मौत हो गई। एजीए श्री ऋषि चड्ढा ने आगे कहा कि एफ.आई.आर. से एक संज्ञेय अपराध का पता चलता है, जिसकी जांच ज़रूरी है। इस चरण में दी गई कोई भी अंतरिम राहत जांच की प्रक्रिया में बाधा डालेगी।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



एजीए ने आगे कहा कि एफ.आई.आर. और रिकॉर्ड में मौजूद सबूतों से पहली नज़र में अपराध होने का पता चलता है और इसकी गहन जांच ज़रूरी है। जांच चल रही है। इस चरण में याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से जांच में बाधा आएगी, सबूत खो सकते हैं या गायब हो सकते हैं, और यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'स्टेट ऑफ़ हरियाणा बनाम भजन लाल' (1992 अनुपूरक (1) एससीसी 335) और 'नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ़ महाराष्ट्र और अन्य' ((2021) 19 एससीसी 401) के मामलों में तय किए गए कानून के खिलाफ होगा।

भजन लाल (उपरोक्त) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार कहा:

“102. कोड के चैप्टर XIV के तहत अलग-अलग ज़रूरी प्रावधानों की व्याख्या और इस न्यायालय द्वारा कई फैसलों में बताए गए कानूनी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए—जिनमें आर्टिकल 226 के तहत असाधारण शक्ति या कोड की धारा 482 के तहत निहित शक्तियों का इस्तेमाल शामिल है और जिनका ज़िक्र हमने ऊपर किया है—हमने उदाहरण के तौर पर मामलों की कुछ कैटेगरी बताई हैं। इन मामलों में ऐसी शक्तियों का इस्तेमाल किसी न्यायालय की प्रक्रिया के गलत इस्तेमाल को रोकने या न्याय सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है। हालाँकि, ऐसे मामलों की कोई सटीक, स्पष्ट, निश्चित और कठोर गाइडलाइन या फॉर्मूला तय करना, या ऐसे अनगिनत मामलों की पूरी लिस्ट देना मुमकिन नहीं है जिनमें ऐसी शक्तियों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

(1) जहाँ एफ.आई.आर. या शिकायत में लगाए गए आरोपों को, भले ही उन्हें उनके वास्तविक रूप में और पूरी तरह से स्वीकार कर लिया जाए, फिर भी वे प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनाते हैं या आरोपी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(2) जहाँ एफ.आई.आर. और उसके साथ मौजूद अन्य कागज़ात (यदि कोई हों) में लगाए गए आरोपों से किसी ऐसे संज्ञेय अपराध का पता नहीं चलता, जिसके लिए पुलिस अधिकारियों द्वारा कोड की धारा 156(1) के तहत जांच की जा सके; सिवाय इसके कि मजिस्ट्रेट ने कोड की धारा 155(2) के दायरे में कोई आदेश दिया हो।

(3) जहाँ एफ.आई.आर. या शिकायत में लगाए गए बिना विवाद वाले आरोपों और उनके समर्थन में जुटाए गए सबूतों से किसी अपराध के होने या आरोपी के खिलाफ कोई मामला बनने का पता नहीं चलता।

(4) जहाँ एफ.आई.आर. में लगाए गए आरोप संज्ञेय अपराध नहीं, बल्कि केवल असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं, वहाँ कोड की धारा 155(2) के तहत मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी द्वारा कोई जांच करने की अनुमति नहीं है।

(5) जहाँ एफ.आई.आर. या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हों कि उनके आधार पर कोई भी समझदार व्यक्ति कभी भी इस सही नतीजे पर न पहुँच सके कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार है।

(6) जहाँ कोड या संबंधित एक्ट (जिसके तहत आपराधिक कार्रवाई शुरू की गई है) के किसी प्रावधान में कार्रवाई शुरू करने और/या जारी रखने पर स्पष्ट कानूनी रोक हो, और/या जहाँ कोड या संबंधित एक्ट में पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए असरदार समाधान का कोई खास प्रावधान हो।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(7) जहाँ आपराधिक कार्रवाई साफ तौर पर दुर्भावनापूर्ण हो और/या जहाँ कार्रवाई दुर्भावना से, आरोपी से बदला लेने और निजी या व्यक्तिगत रंजिश के कारण उसे परेशान करने के मकसद से शुरू की गई हो।

103. हम यह भी चेतावनी देते हैं कि आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति का इस्तेमाल बहुत कम और सावधानी से किया जाना चाहिए, और वह भी बहुत ही दुर्लभ मामलों में; न्यायालय के लिए एफ.आई.आर. या शिकायत में लगाए गए आरोपों की विश्वसनीयता या सच्चाई की जांच करना सही नहीं होगा; और असाधारण या निहित शक्तियां न्यायालय को अपनी मर्जी या सनक के अनुसार काम करने का मनमाना अधिकार नहीं देती हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने **निहारिका (उपरोक्त)** मामले में कानून को इस प्रकार स्पष्ट किया:

"33.16. सीआरपीसी की धारा 482 और/या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, किसी मामले को रद्द करने की याचिका पर अंतरिम आदेश देते समय हाई न्यायालय को ऊपर बताए गए पैमानों और/या पहलुओं पर विचार करना होगा। हालाँकि, याचिका लंबित रहने के दौरान जाँच पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश बहुत सावधानी से दिया जाना चाहिए। ऐसा अंतरिम आदेश आम तौर पर, बिना सोचे-समझे या यांत्रिक तरीके से नहीं दिया जाना चाहिए। आम तौर पर, जब जाँच चल रही हो, तथ्य स्पष्ट न हों और सारे सबूत/सामग्री हाई न्यायालय के सामने न हों, तो हाई न्यायालय को गिरफ्तारी न करने या 'कोई कठोर कदम न उठाने' का अंतरिम आदेश देने से बचना चाहिए; और आरोपी को सक्षम न्यायालय के सामने सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।" सीआरपीसी की धारा 482 और/या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत केस

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रद्द करने की याचिका को खारिज या निपटाते समय, हाई न्यायालय के लिए यह सही नहीं है कि वह गिरफ्तारी न करने और/या "कोई सख्त कार्रवाई न करने" का आदेश दे—चाहे वह जांच के दौरान हो, जांच पूरी होने तक हो, या सीआरपीसी की धारा 173 के तहत फाइनल रिपोर्ट/चार्ज-शीट दाखिल होने तक हो।

भजन लाल (उपरोक्त) और निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर (उपरोक्त) मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले इस मामले के तथ्यों पर पूरी तरह लागू होते हैं और हमें याचिकाकर्ताओं को कोई अंतरिम सुरक्षा देने से रोकते हैं।

एफ.आई.आर. को रद्द करने की मांग भी उन्हीं कारणों से अस्वीकार कर दी गई है।

रिट याचिका खारिज कर दी गई है।

12 जून, 2026

आरती

(न्यायमूर्ति लक्ष्मीकांत शुक्ला) (न्यायमूर्ति अजय भनोट)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।